

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) डूंगरपुर राजस्थान

कार्यालय – आदेश

राज्य सरकार के पत्रांक प-14(8) शिक्षा-1/2009 पार्ट -IV / केम्प-बीकानेर दिनांक - 29.06.14 एवं निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर के आदेशांक-शिविरा/माध्य/मा/अ-2/केमाशिबो /2014-15 दिनांक - 30.06.2014 की पालना में निम्नांकित विद्यालयों को उनके नाम के सम्मुख सत्र एवं माध्यम के लिए केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) नई दिल्ली से सम्बद्धता प्राप्ति हेतु अनापति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है । विद्यालय/ संस्था द्वारा राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम , 1989 एवं नियम 1993 तथा समय समय पर विभाग द्वारा जारी निर्देशों की पालना की जावेगी तथा राज्य/राष्ट्रीय स्तरीय कार्यक्रमों में भागीदारी निभाई जावेगी । ऐसा नहीं करने पर विभाग द्वारा राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम 1989 एवं नियम 1993 के तहत विद्यालयों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए विद्यालय को जारी अनापति प्रमाण पत्र रद्द किया जा सकता है, जिसके परिणामस्वरूप उक्त संस्था राज्य में विद्यालय का संचालन नहीं कर सकेगी ।

क्र.सं.	विद्यालय का नाम	सम्बद्धता	सत्र	माध्यम
1.	गरुकुल सेन्द्रल एकेडमी बोरी डूंगरपुर	CBSE	2014-15	अंग्रेजी

जिला शिक्षा अधिकारी
(माध्यमिक) डूंगरपुर

क्रमांक-जिशिअ/माध्य/डूंगर/सीबीएसई/मान्यता/2014-15/2869 दिनांक -30.06.2014
प्रतिलिपि- 1. श्रीमान् उपनिदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर ।

2 श्रीमान् शिक्षा उप निदेशक , माध्यमिक उदयपुर मण्डल उदयपुर ।

3 संस्था प्रधान, माध्यमिक, गरुकुल सेन्द्रल एकेडमी बोरी डूंगरपुर ।

जिला शिक्षा अधिकारी
(माध्यमिक) डूंगरपुर